

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर के समक्ष

R-2264-3114 PBR

शुक्रलाल पिता भगीरथ
निवासी- केशरीपुरा, साँवैर
जिला- इंदौर § म० प्र० §

— आवेदक/निगरानीव

विरुद्ध

- 1- गीताबाई पति भगीरथ
निवासी- केशरीपुरा, साँवैर
- 2- गीरजाबाई पति कृपाराम
निवासी- म नं० 360, राजनगर, इंदौर
- 3- लालचंद पिता भगीरथ
- 4- लीलाबाई पति तेजकरण
- 5- आम्कान्ताबाई पति इंदरलाल
- 6- गीताबाई पति स्व. चौधमल
- 7- पिकी पिता स्व. चौधमल
- 8- चिंटी पिता स्व. चौधमल
- 9- सोनू पिता स्व. चौधमल
- 10- कन्हैयालाल पिता स्व. चौधमल
सभी निवासी- केशरीपुरा, तहसील
साँवैर जिला इंदौर
- 11- म० प्र० शासन तर्फे कलेक्टर
इंदौर § म० प्र० §

— अनावेदक/प्रतिअपीला
गण

म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार साँवैर जिला इंदौर द्वारा अपने न्यायालयीन बंटवारा प्रकरण क्र. 1/अ-27/12-13 दिनांक 20-09-2013 पारित अंतरिम आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी आवेदन माननीय राजस्व मंडल म. प्र. - ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत आदेश की सत्यप्रतिलिपी के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है जो स्वीकार किये जाने योग्य है।

शुक्रलाल

शुक्रलाल

श्री श्री कांत चंद्र
अभिभासक द्वारा
आज दिनांक
15-7-14 को
इंशुआर केस्य पर
उस्तुत

G.M.
15-7-14
Dulme
17-7-14

21.8.2014

आवेदक की ओर लक्ष्मी शीकांत
चेटे अभिभावक उपस्थित। उनके साथ
प्रकलन नहीं चकामे जाने का अनुरोध
किया गया। अनुरोध स्वीकार किया जाता
है। प्रकलन नहीं चकामे जाने के
कारण समाप्त किया जाता है।

Dr
अध्यक्ष

Dr
अध्यक्ष